

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स बाबू खान पुत्र श्री बद्दु खान प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना रेफरेंस नम्बर 20231000074342, क्षेत्रफल 1.6091 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 187488 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 06.8303 हैक्टेयर, क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 846768.4 टन प्रति वर्ष के खसरा नम्बर 974/1 निकट ग्राम- गनवर तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक, जिला टोंक की अध्यक्षता में दिनांक 23.08.2024 को दोपहर 03:00 बजे राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम गनवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरण-
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/6793 दिनांक 09.07.2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ-बूंदी/पी.यू.बी.-340/469-475 दिनांक 10.07.2024 के अनुपालना में मैसर्स बाबू खान पुत्र श्री बद्दु खान प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना रेफरेंस नम्बर 20231000074342, क्षेत्रफल 1.6091 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 187488 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 06.8303 हैक्टेयर, क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 846768.4 टन प्रति वर्ष के खसरा नम्बर 974/1 निकट ग्राम- गनवर तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 23.08.2024 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र महानगर टाइम्स के संस्करण में दिनांक 22.07.2024 एवं द इण्डियन एक्सप्रेस के संस्करण में दिनांक 22.07.2024 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्रीमान् सुरेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

(3)

Sanita

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने का अवसर आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वितास्ता एनवायरो सर्विस प्राईवेट लिमिटेड की तकनीकी सलाहकार श्रीमती संजु चौधरी के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमूह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्रीमान् सुरेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने जनसुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को बताया कि आप सभी ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के बारे में जो भी बताया है आप की तरफ से जो भी आपेक्ष/सुझाव हो उसका जवाब दिया जायेगा। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

अंत में ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपत्ति नहीं है बताया और कहा कि हमे इस परियोजना से कोई दिक्कत नहीं है।

जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए है।

Savita

9

अतः मैं श्रीमान् सुरेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण गण्डल, बूंदी द्वारा उपरिथत ग्रामवासियों / जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई। जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

9

सुरेश चौधरी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक जिला कार्यालय (राज.)
अति. जिला कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

22/6/24
सविता
क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. म. बूंदी (राज.)
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण गण्डल
बूंदी (राज.)

उपस्थिति पत्रक


मैसर्स श्री बाबू खान पुत्र श्री बदू खान एवं सह-आवेदक, खसरा संख्या 974/1
संदर्भ संख्या 20231000074342 क्षेत्रफल - 1.6091 हैक्टेयर, निकट ग्राम गनवर,
तहसील मालपुरा, टोंक की प्रस्तावित ग्रेनाइट खनन परियोजना मय क्लस्टर, कुल
क्लस्टर क्षेत्रफल - 6.8303 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :-

स्थान :- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम गनवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक

दिनांक :- 23.08.2024

समय :- दोपहर: 03:00 बजे से

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती चोखरी Agm, Tonk	(2) Savita
2.	Savita, Ro, RSPCB	Savita
3.	Savita, Ro, RSPCB, Blundi	Savita
4.	बकरी मालपुरा	मालपुरा
5.	श्री विराज गनवर	श्री विराज
6.	श्री शशी गनवर	Ashish
7.	श्रीमती खलीफा गनवर	श्री. खलीफा
8.	श्रीमती गनवर	श्रीमती गनवर
9.	गजेंद्र गनवर	गजेंद्र
10.	दशित कौन गनवर	दशित कौन
11.	श्रीमती गनवर	श्री
12.	Sunil Yadav Virekta Enviro services Pvt Ltd Tonk	Sunil
13.	राहुल गनवर Gaymuser	Rahul
14.	श्री गनवर	श्री
15.	श्रीमती गनवर गनवर	श्रीमती गनवर

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
16.	Dileep Kumar Meena JEE, KSPCB, Bundi	
17.	भाग्यवंद प्रजापत जनवर	
18.	बालकृष्ण रेवा गीतवरी	भाग्यवंद प्रजापत
19.		बालकृष्ण रेवा
20.	सुमन प्रजापत रामन/मामन	मालपुरा
21.		मालपुरा
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

Maharashtra. When asked about the necessity for a separate Bhil Pradesh, Roat said the demand is based on the geography, culture and language. "If you talk to people in Durgapur or in Nashik, we all speak Bhili and have a similar culture. If Gujarat and Maharashtra can be carved out due to similar cultures and languages, then why not Bhil Pradesh? Moreover, it is not correct to say that the newly created state will be just for Bhils. At the gathering organised on July 18, there were Rajput, Scheduled Caste, Scheduled Tribe and

government, a separate state for the tribal community and several former MPs and MLAs had backed it. However, many including Meena, have softened their stance on the issue in recent years.


Sources in the Congress say the party has always supported the Bhil Pradesh demand. However, since the rise of the BJP and the BAP, the Congress has backed down and has now decided not to vocally support it.

The demand for a separate Bhil state was raised in the

with the matter of Bhil Pradesh. Everyone in the BAP understands this dream will not be fulfilled but BAP leaders want to keep it in the news to stay relevant in tribal politics as these areas are mostly tribal. Their dream is to stretch the issue as much as possible to be able to win the coming election in these states. Now, it is to be seen how well they will be able to use the issue in elections," the sarpanch said.

in the... local residents. One... had lost consciousness... required medical attention. The driver of the dumper truck, Vipin Pandey, has been arrested and the vehicle has been seized by police. Police are also looking for two other men in connection with the incident, and said all the accused were relatives

3 dead, 8 injured in Kedarnath landslide



Rescue operation underway at the landslide site on Kedarnath trekking route in Rudraprayag on Sunday. PTI

EXPRESS NEWS SERVICE DEHRADUN, JULY 21

AT LEAST three people were killed and eight injured on the Kedarnath yatra route in Uttarakhand's Rudraprayag district after a landslide hit the area on Sunday morning.

According to the information provided by the State Disaster Response Force (SDRF), which has been carrying out rescue operations, the landslide occurred near Chirbasa when the pilgrims were travelling on foot to reach the Kedarnath temple from Gaurikund. The deceased were

identified as Maharashtra natives Kishore Arun Parate, 31, from Nagpur; Sunil Mahadev Kale, 24, from Jalna; and Anurag Bisht, 22, from Rudraprayag.

Nandan Singh Rajwar, the Rudraprayag district disaster management officer, said around 7:30 am, they received information about pilgrims being buried under the debris.

Chief Minister Pushkar Singh Dhami offered condolences to the families of the deceased. "Relief and rescue work is going on at the site of the accident, I am constantly in touch with the officials in this regard," the CM said in a post on X.

Shirur landslide: Army, Navy roped in for rescue

EXPRESS NEWS SERVICE BENGALURU, JULY 21

IN A bid to rescue three persons caught in a landslide along NH-66 at Shirur, the Karnataka government has roped in the Army and Navy. The incident took place in Uttara Kannada district on July 16. The soldiers have been called in to scan the waters nearby for possible traces of the missing people.

According to the government, 10 people were caught in the landslide and bodies of seven — five from the same family — were recovered by Saturday. The rescue operations, which entered its sixth day, continue to be hampered by

the spell of very heavy rainfall. Chief Minister Siddaramaiah, who visited the spot Sunday, said that the state government would petition the Centre to initiate action against those responsible for the unscientific highway works that caused the accident. A total of 44 Army personnel joined the rescue operations on Sunday, adding to the force of 44 SDRF and 24 NDRF personnel at the landslide site. Multiple earth movers are deployed to clear the debris piled atop the highway stretch.

Among the three missing persons, one is identified as Arjun from Kerala, a lorry driver. Both Arjun and his vehicle remain untraced.

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी प्रुट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

Date: 10.07.2024

RPCB/RO BUNDI/PUB-340/
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स श्री बाबु खान पुत्र श्री बदतु खान एंड कोर्पोरेटिव खसरा नम्बर 974/1, निकट ग्राम गनवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट माइनिंग कलस्टर क्षेत्र 6.8303 हेक्टर कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 846768.4 TPA आवेदक मैसर्स श्री बाबु खान पुत्र श्री बदतु खान एंड कोर्पोरेटिव द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.6091 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 187488 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 974/1, निकट ग्राम गनवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मध्य दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री बाबु खान पुत्र श्री बदतु खान एंड कोर्पोरेटिव ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को वक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसार जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
 1. जिला कलक्टर, टोंक।
 2. CEO जिला परिषद टोंक।
 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. स्थानिक क्षेत्र झालाना बूंदी, जयपुर।
 4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना स्थानिक क्षेत्र जयपुर।
 5. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक।
 6. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
 7. क्षेत्रीय प्रबंधक टीको, टोंक।
 8. ग्राम पंचायत गनवर।
 9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम गनवर तहसील मालपुरा, जिला टोंक
 10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, ड-य (एसएसओ) धवन, सचिवालय, जयपुर।
 11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2024/6793 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 (शुक्रवार) को दोपहर: 3:00 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम गनवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित क्षेत्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेंगे तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी


गोयल, ए. मुखोपाध्याय रिटा. आईएएस, मीनाक्षी हूजा रिटा. आईएएस, आईसी श्रीवास्तव, बीएस देथा, आईएएस, जस्टिस एनके जैन, गिराज सिंह कुशवाहा रिटा. आईएएस, एनएस

सिसोदिया रिटा. आईएएस, कुंजीलाल मीणा, आईएएस, आरएस जाखड़ रिटा. आईएएस, समाजसेवी किशोर सिंह, जस्टिस धीरेन्द्र कच्छावा, समाजसेवी सत्येंद्र चतुर्वेदी मौजूद रहे।

सतगुरु भगत प्रकाश का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देवनानी ने गुरु पूर्णिमा पर वहां लोगों को बोधार्थ एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा

मेरे अभिभावक के कहने में नही हूँ तथा नया जन्म से समस्त धर्म-सिंह, मोहन कंवर, कमल कंवर व उनके परिवार से समस्त संबंध समाप्त कर उन्हें अपनी समस्त चला-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है सुन्दर सिंह, धर्मेश सिंह, मोहन कंवर, कमल कंवर से जो कोई किसी भी प्रकार का कोई संबंध बनाए रखेगा तो उसके प्रति मेरे अभिभावक व उनकी सम्पत्ति की जिम्मेदारी नही होगी। इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे। कमलेश शर्मा (एडवोकेट) मो. : 9828132980 निवासी: 62, राजीवपुरी, गोलीमार गार्डन के पीछे, आमेर रोड, जयपुर

वंद देव मंदिर में गुरु व धूमधाम से मनाया



रो जन्म सुधारों जैसे भजन ना कर गुरु देव को रिझाया। उसे पूर्व चिरंजीव दास शराज से नये शिष्यों ने मिठाई, ल, कपड़े, नारियल, भेंट देकर श्रावण की। शिष्यों ने गुरु न किया। चिरंजीव दास ने बताया कि भारतीय संस्कृति में को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। गुरु के बिना अज्ञानता

के अंधकार को दूर कर पाना असम्भव माना गया है। इस मौके पर राम कल्याण मीना, नंदकिशोर सैनी, हरसहाय गुर्जर, चिरंजी लाल सैनी, गोपाल फागना, सुरेश शर्मा, रोशन बाड़ीवाल, टीकम कुंभावत, जगदीश चेची, छाजू राम, ग्यारसी लाल शर्मा, रामफूल फागना आदि मौजूद रहे।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO BUNDI/PUB-340/
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लांक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स श्री बाबु खान पुत्र श्री बददु खान एंड कोपरेटिव खसरा नम्बर 974/1, निकट ग्राम गनवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्वेसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट माइनिंग कलक्टर क्षेत्र 6.8303 हेक्टर कुल अनुमानित कलक्टर उत्पादन क्षमता 846768.4 TPA आवेदक मैसर्स श्री बाबु खान पुत्र श्री बददु खान एंड कोपरेटिव द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.6091 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 187488 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 974/1, निकट ग्राम गनवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहीं तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री बाबु खान पुत्र श्री बददु खान एंड कोपरेटिव ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्तपरियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2. CEO जिला परिषद टोंक। 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।

5. महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 6. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।

7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 8. ग्राम पंचायत गनवर।

9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम गनवर तहसील मालपुरा, जिला टोंक

10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कजरा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-य (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2024/6793 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 (शुक्रवार) को दोपहर: 3:00 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम गनवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सचिवा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रोपण



WONDER HOME FINANCE
Zindagi Ki Perfect Shuruaat

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क,
मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

सिक्कुरिटाइजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारों द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.एन. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार " वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 " की धारा 13 (2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं करता है तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चप्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रूपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13 (4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूची के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता/गारण्टर का नाम एवं ऋण खाता संख्या	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) LN29004HC2021002830 & LN29003HC2122005241, सीमा सोनी (ऋणी), संजय (सहऋणी), सचिन सोनी पुत्र श्री शंकर लाल सोनी (गारण्टर)	15-07-2024 ₹ 10,31,004.04 दस लाख इकतीस हजार चार रूपये एवं चार पैसे मात्र एवं ₹ 2,16,656.44 दो लाख सोलह हजार छः सौ छप्पन रूपये एवं चवालीस पैसे मात्र 10-07-2024 तक	संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 21 (पश्चिमी भाग), ग्राम एवं ग्राम पंचायत पहाडिया तहसील फागी, जिला जयपुर, राज. 303904, क्षेत्रफल 1076. 22 वर्ग फीट

दिनांक: 20.07.2024 स्थान: जयपुर प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी

द्वारा आयोजित सामुहिक जनसुनवाई

"प्रस्तावित ग्रेनाइट व मेसनरी स्टोन क्लस्टर खनन परियोजना"
क्लस्टर पट्टा क्षेत्र 9.2728 हेक्टेयर (6-स्वीकृत खनन पट्टे व 1 प्रस्तावित)



क्रमांक	परियोजना प्रस्तावक	गांव	संदर्भ/खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन क्षमता (टी.पी.ए)
1	मैसर्स केसरी स्टोनेक्स	कडीला	20221000056961	1.0008	94,584
2	श्री. लाले सिंह	कडीला	201810000322	1.0115	1,15,000
3	श्री. शंकर लाल रेगर	झुंगरीकला	201810000770	1.3480	71,400
4	श्री. धर्मोदर शर्मा	कडीला	2019100006875	1.19	1,35,384
5	मैसर्स हिमांशु ग्रेनाइट	झुंगरीकला	20191000011606	2.4896	3,96,597.6
6	श्री. छिगनारायण	कडीला	20191000011619	1.2329	1,25,026
7	मैसर्स हिमांशु ग्रेनाइट	झुंगरीकला	एम.एल. नं.- 36/2007	1.00	95,617.5
कुल				9.2728	10,33,609.1 (टी.पी.ए)

क्लस्टर परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 10,33,609.1 (टी.पी.ए) की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए सामुहिक लोक जनसुनवाई

दिनांक 23-08-2024 प्रातः 11.00 बजे से, स्थान- राजीव गांधी सेवा केंद्र

गांव:- कडीला, तहसील:- मालपुरा, जिला:- टोंक (राजस्थान) में प्रस्तावित है,

प्रस्तावित खनन पट्टा क्षेत्रफल - 1.0008 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता - 94,584 टी.पी.ए (आर.ओ.एम)

(ग्रेनाइट - 47,292 टीपीए, अपशिष्ट - 47,292 टीपीए)

गांव:- कडीला एवं झुंगरीकला, तहसील:- मालपुरा, जिला:- टोंक (राजस्थान)

परियोजना प्रस्तावक- मैसर्स केसरी स्टोनेक्स





क्र.सं.	नाम	पदा	सं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20







राजस्थान राजा प्रदुपण निधिगत बायकन, वृदी
प्रस्तावित योजनाएं व केमरी स्टोन बायकन वृदी परियोजना
संयुक्त प्रस्ताव की संख्या 2018-19 की संख्या 10 की संख्या 10 की संख्या 10 की संख्या 10

क्रमांक	परिकल्पना प्रस्तावक	प्राप्त	परिष्कारण का समय	प्रस्ताव का मूल्य	संयुक्त प्रस्ताव की संख्या
1	श्री. राजा प्रदुपण	10	10	10	10
2	श्री. राजा प्रदुपण	10	10	10	10
3	श्री. राजा प्रदुपण	10	10	10	10
4	श्री. राजा प्रदुपण	10	10	10	10
5	श्री. राजा प्रदुपण	10	10	10	10
6	श्री. राजा प्रदुपण	10	10	10	10
7	श्री. राजा प्रदुपण	10	10	10	10
8	श्री. राजा प्रदुपण	10	10	10	10
9	श्री. राजा प्रदुपण	10	10	10	10
10	श्री. राजा प्रदुपण	10	10	10	10

परियोजना प्रसावक, मैसर्स केमरी स्टोनेज